**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

**CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 1882 of 2025**

Harshad Katiyar And 3 Others

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 2 Others

.....Respondent(s)

---

| | | |
|---|---|---|
| Counsel for Petitioner(s) | : | Radhey Shyam Yadav |
| Counsel for Respondent(s) | : | G.A., Rajeev Malviya |

---

**Court No. - 43**

**HON'BLE SIDDHARTHA VARMA, J.**
**HON'BLE ABDUL SHAHID, J.**

1. Case was taken up in the revised call.

2. Heard Sri Amit Kumar, Advocate holding brief of Sri Radhey Shyam Yadav, learned counsel for the petitioners and learned A.G.A. for the State-respondents.

3. When a matrimonial dispute arose between the petitioners and the respondent no. 3, a first information report was lodged on 23.6.2024 which had given rise to Case Crime No. 294 of 2024, under Sections 498A, 323, 313, 504, 506 of I.P.C. and Section 3/4 D.P. Act. When the first information report was challenged before this Court, on 4.2.2025 the parties were sent to the Mediation Centre of this Court for conciliation. The parties appeared before the Mediation Centre and a settlement agreement was drawn on 25.5.2025. The settlement agreement has been placed before this Court indicating that a Suit/Application under Section 13-B of the Hindu Marriage Act had been filed on 15.5.2025 in pursuance of the interim agreement. The settlement which was arrived at 25.5.2025 is contained in paragraphs no. 7 & 8 of the settlement agreement and the same are being reproduced here as under :

*"7.*

अंतरिम समझौता दिनांक *11.05.2025* के अनुसार आज पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित समझौता सम्पन्न हुआ है:-

**क.** यह कि दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया था कि दोनों पक्षकार अलग-अलग रहना चाहते हैं तथा विवाह विच्छेद करना चाहते हैं इस सन्दर्भ में दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति से न्यायालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, फतेहगढ़ के समक्ष धारा *13*-बी के अन्तर्गत सहमति विवाह विच्छेद याचिका सं. *360 of 2025* दाखिल किया है जिसकी प्रमाणित प्रति पक्षकार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम सुनवाई के समय प्रस्तुत करेंगें।

**ख.** यह पक्षकारों के मध्य यह समझौता हुआ है कि पति एकमुश्त धनराशि रु.*16,00,000/- (* रु. सोलह लाख मात्र*)* जिसमें पत्नी का स्थायी गुजारा भत्ता, स्त्रीधन, भरण-पोषण भी शामिल है, पत्नी को डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये अदा करेंगे।

**ग.** यह कि उपरोक्त एकमुश्त तय धनराशि प्राप्त हो जाने के पश्चात् पत्नी किसी भी अधिनियम के तहत भविष्य में किसी भी प्रकार से गुजारा भत्ता, भरण-पोषण के लिए हकदार नहीं होगी न ही भविष्य में पति एवं उनके परिवारजनों की सम्पत्ति में कोई दावा करेंगी।

**घ.** यह की दिनांक *11.05.2025* को पति ने *Rs.8,00,000/- (*रु आठ लाख मात्र*)* का एक डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. *499480* जो कि *Canara Bank* द्वारा दिनांक *09.05.2025* को *Yashu Katiyar (*पत्नी*)* के नाम जारी किया गया है, मध्यस्थता केन्द्र में प्रस्तुत किया था जिसे पक्षकारो की सहमति से पत्रावली में रखा गया था, आज दिनांक *25.05.2025* को उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट पत्नी को सौंप दिया गया है जिसकी प्राप्ति पत्नी सुनिश्चित करती है।

**ङ.** यह कि पक्षकारों के मध्य यह तय हुआ है कि बकाया धनराशि अर्थात् *Rs.8,00,000/-(*रु आठ लाख मात्र*)* पति द्वारा पत्नी को न्यायालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, फतेहगढ़ के समक्ष सहमति विवाह विच्छेद याचिका सं. *360 of 2025* के अन्तिम निस्तारण के समय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अदा किया जायेगा।

**च.** यह कि दोनों पक्षों ने इस वैवाहिक वाद के संन्दर्भ में एक दूसरे के विरुद्ध जितने भी मुकदमें *(civil or criminal)* दाखिल किये हैं, वे उन समस्त वादों/मुकदमों को उचित उपाय करते हुए वापस/समाप्त करा लेगें।

**छ.** यह कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ, इस वैवाहिक वाद के संन्दर्भ में भविष्य में कोई नया वाद दाखिल नही करेंगे।

*8.* उपरोक्त समझौते को हस्ताक्षरित करते हुए वादकारी यह कथन करते है कि उपरोक्त

***Criminal Misc. Writ Petition No. 1882 of 2025*** में अब उनके मध्य में कोई दावा या माँग शेष नहीं है तथा उनके मध्य समस्त विवाद मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा स्वेच्छा-पूर्वक हल हो गये हैं।"

4. In view of the fact that the parties are entered into a compromise, no useful purpose would be served by keeping the instant writ petition pending.

5. Under such circumstances, the instant writ petition is **allowed**. The First Information Report dated 23.6.2024 which had given rise to Case Crime No. 294 of 2024, under Sections 498A, 323, 313, 504, 506 of I.P.C. and Section 3/4 of D.P. Act, Police Station - Kalyanpur, District - Paschhimi (Commissionerate Kanpur Nagar) is quashed.

**September 17, 2025**
M.S. Ansari

**(Abdul Shahid,J.)  (Siddhartha Varma,J.)**

Digitally signed by :-
MOHD SAQIB ANSARI
High Court of Judicature at Allahabad